Bungling Detected in Manipur State Lotteries

4085. SHRI RAjJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether massive bungling and embezzlement has been detected in Delhi, in respect of Manipur State LotterieB involving the sole-selling agent of these lotteries in Delhi;

(b) if so, what are the details thereof and the amount of money estimated to have been embezzled depriving the common citizens of
their rightful money; and

(c) what was the *modus operandi* of the racket?

THE MINISTER OF STATE INI '" 'THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The Delhi Police has reported that Government of Manipur had approved scheme for printing of 10 lakhs tickets for the draw of Jeevan Rekha Daily lottery but the sole selling agent in New Delhi, was getting only one and half lakh tickets printed. The sole selling agent did not issue corrigendum in news papers thereby making wrongful gain to himself which is estimated to be approximately Rs. 2 crores. A case under section 420 IPC has been registered tat Police Station, Karol Bagh against the aforesaid sole selling agent on 11-11-1992.

हरिजनों पर अत्याचार

4096. श्रीमती सत्या बहिन :
श्री राधाकिशन मालवीय :
श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न राज्यों में हरिजन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत आज तक कुल कितने मामले दर्ज किये हैं

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार दलितों पर हुए अत्याचारों के अधिकतर मामले भाजपा शासित राज्यों के हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है, अतः अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों सहित आपराधिक मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, पता लगाना तथा अभियोजन चलाना राज्य सरकारों का काम है।

(ग) भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर निवारात्मक, दण्डनीय तथा पुनर्वास उपाय करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। मानव अधिकारियों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए अभी हाल ही में मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों की, समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। सम्मेलन में यह संकल्प किया गया है कि इन कमजोर वर्गों की समस्याओं को अत्यधिक सहानुभूति से और शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए इसमें इस बात पर भी बल दिया कि